



कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय, बलिया

पत्रांक सं० 362/जि.वि.से.प्रा./2025 बलिया

दिनांक : जुलाई 31, 2025

विज्ञापित

विषय:— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया के अन्तर्गत संचालित मध्यस्थता केन्द्र (मीडिएशन सेन्टर) में मध्यस्थ अधिवक्ताओं की भर्ती के संबंध में।

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक सं०— 2087 /एसएलएसए-83/2025 दिनांकित जुलाई 01, 2025 के द्वारा राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। उक्त अभियान का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण करना है। जिसके संदर्भ में उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक सं०— 2389/एस.एल.एस.ए.-83/2025 (संदीप/री) दिनांक जुलाई 30, 2025 के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया के अन्तर्गत संचालित मध्यस्थता केन्द्र में पर्याप्त संख्या में मध्यस्थों की नियुक्ति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के निर्देश के अनुपालन में मध्यस्थ पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:—

क्रम सं०	पदनाम	पदों की संख्या	अर्हता
1	मध्यस्थ अधिवक्ता	15	उ०प्र० शासन, न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) संख्या-10/2021/195/सात-न्याय-2-2021-31जी/2008 लखनऊ, दिनांक 23 मार्च 2021 अधिसूचना, उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के अनुरूप:— (क) ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। (ख) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश। (ग) ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।

उपरोक्त वर्णित पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने हेतु इच्छुक आवेदकगण, उ०प्र० शासन, न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) संख्या-10/2021/195/सात-न्याय-2-2021-31जी/2008 लखनऊ, दिनांक 23 मार्च 2021 अधिसूचना, उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के अनुरूप अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी निर्धारित-प्रारूप पर अपना आवेदन समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए, जनपद न्यायालय, बलिया में स्थित ए०डी०आर० भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के कार्यालय में आवेदन की अन्तिम तिथि तक प्राप्त करायें। आवेदन की अन्तिम तिथि 05.08.2025 सायं 05:00 बजे तक है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नोट:— उपरोक्त पदों के संबंध में, विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र के प्रारूप के लिये, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट <https://www.allahabadhighcourt.in> मा० उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की वेबसाइट <https://upslsa.up.nic.in/> एवं जिला न्यायालय, बलिया की वेबसाइट <https://ballia.dcourts.gov.in/> से डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है।

9

संलग्नक – आवेदनपत्र का प्रारूप।

दिनांक 31.07.2025

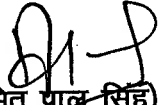

(अमित पाल सिंह)

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बलिया

जिला जज/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद न्यायालय, बलिया

प्रतिलिपि निम्नांकित स्थानों पर चस्पा एवं सूचनार्थ प्रेषित।

1. जनपद न्यायाधीश बलिया के नोटिस बोर्ड पर।
2. अध्यक्ष, सिविल बार एसोसिएशन बलिया को समस्त अधिवक्ताओं के मध्य परिचालित किए जाने हेतु प्रेषित।
3. अध्यक्ष, किमिनल बार एसोसिएशन बलिया को समस्त अधिवक्ताओं के मध्य परिचालित किए जाने हेतु प्रेषित।
4. दीवानी न्यायालय बलिया के नोटिस बोर्ड पर।
5. जिलाधिकारी बलिया के नोटिस बोर्ड पर।
6. जिला सूचना अधिकारी बलिया को इस आशय से प्रेषित कि वे इस संबंध में विज्ञापन, राष्ट्रीय समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं स्थानीय समाचार पत्रों) में निःशुल्क प्रकाशन करने हुये, इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के नोटिस बोर्ड पर।
8. सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, बलिया जजशिप को उक्त विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला न्यायालय बलिया के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(अमित पाल सिंह)

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बलिया

जिला जज/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद न्यायालय, बलिया

अनुसूची-एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
(जिला)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
5. मोबाइल संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वर्तित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है ?

मैं..... एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।